रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 4—अप्रैल 10, 2010, शनिवार/चैत्र 14—चैत्र 20, 1932
No. 15] NEW DELHI, APRIL 4—APRIL 10, 2010, SATURDAY/CHAITRA 14—CHAITRA 20, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

**भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)**

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2010

**सा.का.नि. 64.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (भंडार अधीक्षक) भर्ती नियम, 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में भंडार अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में भंडार अधीक्षक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद-संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतनबैंड और उसका ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद है अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| भंडार अधीक्षक | 7* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड 2, रु. 9300-34800+ ग्रेड वेतन रु. 4200 | चयन | नहीं | 30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| (1) यांत्रिक/वेधन/पैट्रोलियम/खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा; या यांत्रिक या सामग्री प्रबंध में डिग्री; और<br>(2) निम्नलिखित एक या अधिक विषयों से संबंधित भंडार लेखा में तीन वर्ष का अनुभव भंडारों का क्रय महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान के मार्फत मांग पत्र भेजना, भंडारों का निरीक्षण, भंडार लेखा, बिनकार्डों का रखरखाव और भंडारों का निपटान । | आयु : नहीं<br>शैक्षिक अर्हता : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 उत्तीर्ण या उसके समतुल्य;<br>(ii) हिंदी पढ़ने और लिखने की योग्यता; और<br>(iii) सरकारी संगठनों में भंडार लेखाओं को मानिटर करने का तीन वर्ष का अनुभव । | दो वर्ष |

| **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| (11) | (12) |
| प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | **प्रोन्नति :**<br>केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200+ग्रेड वेतन रु. 2400 के ऐसे भंडारी जिनके पास उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा का अनुभव है । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति ( समूह 'ख' ) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—**<br>1. निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष<br>2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के इंजीनियरी स्थापन का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य<br>3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य | नियमों के उपबंधों को शिथिल करने/उनका संशोधन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । |

[फा. सं. 23/04/2009-सीजीडब्ल्यूबी]

एम. एन. सुकुमारन, अवर सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 1st April, 2010

**G.S.R. 64.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Store Superintendent) Recruitment Rules, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Superintendent in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely :—

**1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Store Superintendent, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, Pay band and grade pay or pay scale.—** The number of the post, its classification, Pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification.—**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of Post | Number of post | Classification | Pay Band and grade pay or scale of pay | Whether Selection post or Non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Store Superin-tendent | 7* (2010) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, (Group 'B') Non-Gazetted Non-Ministerial | Pay Band-2 Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4200 | Selection | No | Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time).<br>**Note.—**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | period of Probation, if any |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| (1) Diploma in Mechanical/Drilling/Petroleum/Mining Engineering; Or Degree in Mechanical or Material Management, and<br>(2) Three years experience in Stores accounting pertaining to one or more of the following subject, purchase of stores, indenting through Director General, Supplies and Disposal, Inspection of Stores, Stores accounting maintenance of bin cards and disposal of stores. | Age : No :<br>Educational Qualifiction :<br>(i) 10+2 pass or its equivalent from a recognised Board;<br>(ii) ability to read and write Hindi; and<br>(iii) three years experience of monitoring of store accounts in the Government's organisations | Two years |

| **Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage post to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/of the deputation/absorption is to be made |
|---|---|
| (11) | (12) |
| Promotion failing which direct recruitment | **Promotion :**<br>Storekeepers in the pay band 1, Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs. 2400/- in the Central Ground Water Board with ten years regular service in the grade. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **Departmental Promotion Committee (Group 'B') for considering promotion and confirmation consisting of :—**<br>1. Director (Administration) —Chairman<br>2. A Group 'A' Officer of Engineering Establishment of Central Ground Water Board —Member<br>3. A Group 'A' Officer from another Central Government Department —Member | Consultation with Union Public Service Commission necessary for any relaxation/ amendment of the provisons of the rules. |

[F. No. 23/04/2009-CGWB]

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2010

**सा.का.नि. 65.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक कार्यपालक इंजीनियर भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

**1.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक कार्यपालक इंजीनियर भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक कार्यपालक इंजीनियर भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद है अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| सहायक कार्यपालक इंजीनियर | 32* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. | चयन | नहीं | 35 वर्ष के अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)<br>**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| **आवश्यक :**<br>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ड्रिलिंग या खनन या यांत्रिकी या इलैक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरी या पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य;<br>(ख) विभिन्न प्रकार के ट्यूबवेल या ड्रिलिंग साजसमान के प्रचालन या रखरखाव और मरम्मत में दो वर्ष का अनुभव । | आयु : नहीं<br>शैक्षिक अर्हताएं : स्तंभ 8 में दर्शाए अनुसार | एक वर्ष |

| (8) |
|---|
| **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों को अभिलिखित करते हुए, शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । |

| **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा |
|---|---|
| (11) | (12) |
| 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; और<br>25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | **प्रोन्नति :**<br>(i) 37.5 प्रतिशत, ऐसे सहायक इंजीनियर में से, जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु, 4800 रु. ग्रेड वेतन के उस ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की है और स्तंभ 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखते हैं जिसके न हो सकने पर स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट किसी विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखते हैं और उस श्रेणी में ड्रिलर प्रभारी के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा की है ।<br>(ii) 37.5 प्रतिशत, ऐसे ड्रिलर प्रभारी में से, जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु., 4800 रु. ग्रेड वेतन के उस ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की है और स्तंभ 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखते हैं जिसके न हो सकने पर स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट किसी विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखते हैं और उस श्रेणी में सहायक इंजीनियर के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा की है ।<br>**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (13) | (14) |
| प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—<br>1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य —अध्यक्ष<br>2. अध्यक्ष, केंद्रीय भू-जल बोर्ड —सदस्य<br>3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य<br>पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—<br>1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), जल संसाधन मंत्रालय —अध्यक्ष<br>2. सदस्य, केंद्रीय भू-जल बोर्ड —सदस्य<br>3. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय भू-जल बोर्ड —सदस्य | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा से परामर्श करना अनिवार्य है ।" |

[फा. सं. 21/16/2009-सीजीडब्ल्यूबी]

एम. एन. सुकुमारन, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, सं. सा.का.नि. 72, तारीख 24 फरवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

New Delhi, the 5th April, 2010

**G.S.R. 65.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board Assistant Executive Engineer Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board Assistant Executive Engineer Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board, Assistant Executive Engineer Recruitment Rules, 2004, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

**"SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Pay Band and grade pay or scale of pay | Whether Selection post or Non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Assistant Executive Engineer | 32* (2010) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial | Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus Grade pay Rs. 5400 | Selection | No | Not exceeding 35 years. (Relaxable by five years' in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with |

| | (7) |
|---|---|
| | the instructions or order issued by the Central Government from time to time).<br>**Note.—**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation, if any |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| **Essential :**<br>(a) Degree in Drilling or Mining or Mechanical or Electrical or Civil Engineering or Degree in Petroleum Technology from a recognised Institute or University;<br>(b) Two years experience in operation or maintenance and repairs of different types of Tubewells or Drilling Rigs.<br>**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2 :** The Qualifications regarding experience is relexable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Age : No<br>Educational qualifications :<br>As indicated in column 8. | One year |

| Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made |
|---|---|
| (11) | (12) |
| Seventy five per cent by promotion failing which by direct recruitment; and Twenty-five per cent by direct recruitment. | **Promotion :**<br>(i) Thirty seven and half per cent from Assistant Engineer in PB-2 of Rs. 9300-34800 with Grade pay of Rs. 4800 with two years regular service in the grade and possessing Diploma in Engineering from a recognized Institute or University in any subject specified under Column 8 failing which from Driller-in-Charge with two years regular service in the grade and possessing Diploma in Engineering from a recognized Institute or University as specified under Column 8.<br>(ii) Thirty seven and half per cent from Driller Incharge in PB-2 of Rs. 9300-34800 with Grade pay of Rs. 4800 with two years regular service in the grade and possessing Diploma in Engineering from a recognized Institute or University in any subject specified under Column 8 failing which from Assistant Engineer with two years regular service in the grade and possessing Diploma in Engineering from a recognized Institute or University in any subject specified in Column 8.<br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion, consisting of :—**<br>1. Chairman or a Member of Union Public Service Commission —Chairman<br>2. Chairman, Central Ground Water Board —Member<br>3. Joint Secretary (Administration), Ministry of Water Resources —Member<br>**Group 'A' Departmental Promotion Committee, for considering confirmation consisting of :—**<br>1. Joint Secretary (Administration), Ministry of Water Resources —Chairman<br>2. Member, Central Ground Water Board —Member<br>3. Director (Administration), Central Ground Water Board —Member | Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion." |

[F. No. 21/16/2009-CGWB]

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published vide number G.S.R. 72, dated the 24th February, 2004